

Undertaking for strip plantation along the Road

जनपद इटावा की तहसील इटावा के अन्तर्गत इटावा-ग्वालियर मार्ग किमी0-70.500 से 78.600 तक 02 से 04 लेन चौड़ीकरण हेतु सामाजिक वानिकी प्रभाग इटावा में प्रभावित 6.930 हे0 व राष्ट्रीय चम्बल वन्यजीव विहार आगरा के अन्तर्गत प्रभावित 5.345 हे0 वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत अनुमति प्रदान किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव हेतु

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र दि0-08.09.2021 के क्रम में यह वचनबद्धता दी जाती है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा स्वयं के व्यय पर मार्ग के दोनों ओर, वन विभाग द्वारा दिये गये तकनीकी निर्देशों के अनुसार पंक्ति वृक्षारोपण कार्य कराया जायेगा।

स्थान-इटावा

दि0-10.01.2022


(मुकेश कुमार ठाकुर)
अधिसूची अभियन्ता
(Mukesh Kumar Thakur)
राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण, लो0न0वि0,
Executive Engineer
N.H. Division, PWD, Etawah

Undertaking for Entire Tree Transplant (ETT)

जनपद इटावा की तहसील इटावा के अन्तर्गत इटावा-ग्वालियर मार्ग किमी0-70.500 से 78.600 तक 02 से 04 लेन चौड़ीकरण हेतु सामाजिक वानिकी प्रभाग इटावा में प्रभावित 6.930 हे0 व राष्ट्रीय चम्बल वन्यजीव विहार आगरा के अन्तर्गत प्रभावित 5.345 हे0 वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत अनुमति प्रदान किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव हेतु

यह वचनबद्धता दी जाती है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-02 उत्तर प्रदेश शासन के पत्र सं0-1015/81-2-2021-800(100)/2021 दि0-30.07.2021 द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जायेगा एवं प्रयोक्ता एजेन्सी उक्त निर्देशों के अनुपालन हेतु भुगतान सहित वचनबद्ध है।

स्थान-इटावा

दि0-10.01.2022


(मुकेश कुमार ठाकुर)
(Mukesh Kumar Thakur)
राष्ट्रीय मत्स्य स्वपद हा0-1015/81-2-2021-800(100)/2021
Executive Engineer
N.H. Road, Etawah

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक-343/11-सी दि0-14.08.2020 के क्रम में दिये गये निर्देशों के प्रमाण पत्र

जनपद इटावा की तहसील इटावा के अन्तर्गत इटावा-ग्वालियर मार्ग किमी0-70.500 से 78.600 तक 02 से 04 लेन चौड़ीकरण हेतु सामाजिक वानिकी प्रभाग इटावा में प्रभावित 6.930 हे0 व राष्ट्रीय चम्बल वन्यजीव विहार आगरा के अन्तर्गत प्रभावित 5.345 हे0 वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत अनुमति प्रदान किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव हेतु

प्रमाणित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा विषयगत प्रेषित प्रस्ताव का भली-भाँति परीक्षण कर लिया गया है तथा अधोहस्ताक्षरी इस बात से संतुष्ट है कि प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम-1980 के अन्तर्गत निर्गत आदेशों नियमों व दिशा निर्देशों के अनुरूप है। विषयगत प्रस्ताव में किसी भी बिन्दु पर कोई भी तथ्य छुपाया नहीं गया है। भविष्य में प्रकरण में किसी बिन्दु पर तथ्य छुपाये जाने अथवा अन्य कोई नियम विरुद्ध तथ्य प्रकाश में आने पर वह स्वयं उत्तरदायी होंगे।

स्थान-इटावा

दि0-10.01.2022


(Mukesh Kumar Thakur)
Executive Engineer
N.H. Division, PWD, Etawah